भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3249
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

एमएसएमई चैंपियंस योजना के कार्य-निष्पादन परिणाम और प्रभाव

3249. **श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः**
श्री पी. पी. चौधरीः
श्रीमती मालविका देवीः
श्रीमती पूनमबेन माडमः
श्री मितेश पटेल बकाभाईः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेलः
डॉ. हेमांग जोशीः
श्री योगेंद्र चांदोलियाः
श्री शशांक मणिः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री बलभद्र माझीः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री जनार्दन मिश्रा
श्री सतीश कुमार गौतमः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) चैंपियंस योजना का स्पष्ट उत्पादकता लाभ, लागत अनुकूलन, निर्यात तैयारी और प्रौद्योगिकी अपनाने के संबध में कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर विनिर्माण-गहन और निर्यातोन्मुखी एमएसएमई समूहों में क्षेत्र-वार और कल्स्टर-वार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेडईडी) प्रमाणित एमएसएमई ने राज्य-वार किस तरह बेहरतर बाजार पहुंच, बड़े उद्योगों के साथ आपूर्ति शृंखला का एकीकरण और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भागीदारी को दर्शाया है;

(घ) उद्यमों के दीर्घकालिक विस्तार और स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई लाभार्थियों को ऋण, इक्विटी और बाजार लिंकेज प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कार्यान्वयन और लाभार्थी कवरेज और प्राप्त किए गए स्पष्ट परिणामों का राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा के संदर्भ में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): एमएसएमई चैंपियन स्कीम ने अपने अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काफी प्रगति कर चुकी है, जिसमें प्रमुख डिलिवरेबल्स ने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और उनसे आगे निकल गए हैं। स्कीम के उप-घटकों के उद्देश्यों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए वर्तमान में स्कीम का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

(ख) से (ङ): एमएसएमई चैंपियंस स्कीम एमएसएमई के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता, गुणवत्ता वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देती है। एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम और एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम मुख्य रूप से **अनुलग्नक-I** में संलग्न विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण एमएसएमई को कवर करती है।

एमएसएमई इनोवेटिव (इन्क्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) स्कीम, इन्क्यूबेशन के माध्यम से नवीन विचारों के विकास को बढ़ावा देने, उत्पाद विकास और बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए डिजाइन अंत:क्षेप की सुविधा प्रदान करने और पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और जीआई पंजीकरण के लिए सहायता के माध्यम से एमएसएमई को उनकी बौद्धिक संपदा की रक्षा और व्यावसायीकरण में सहायता करके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक सेक्टर-ऐगनॉस्टिक दृष्टिकोण का पालन करती है।

ये पहलें एमएसएमई में बेहतर प्रचालन दक्षता, गुणवत्ता मानकों और प्रक्रिया अनुकूलन में योगदान करती हैं, जिसमें विनिर्माण-गहन और निर्यात-उन्मुख एमएसएमई शामिल हैं। जेड प्रमाणन एमएसएमई की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, जिससे बेहतर बाजार पहुंच, बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण और व्यापक बाजारों में भागीदारी में सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा ज़ेड-प्रमाणित एमएसएमई को ब्याज दरों और प्रसंस्करण शुल्क में रियायत के रूप में दिए गए श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन, ऋण तक बेहतर पहुंच को सुविधाजनक बनाते हैं और उद्यमों के दीर्घकालिक विकास और स्थिरता का समर्थन करते हैं; ऐसे वित्तीय संस्थानों / बैंकों की सूची **अनुलग्नक-II** में दी गई है। महाराष्ट्र और ओडिशा सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम का कार्यान्वयन और लाभार्थी कवरेज किया जाता है, और स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त परिणामों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में संलग्न है।

***

एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम और एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए विनिर्माण क्षेत्र

क्र.सं.	एनएसआईसी प्रभाग कोड	क्षेत्र
1	10	खाद्य उत्पादों का विनिर्माण
2	11	पेय पदार्थों का उत्पादन
3	12	तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण
4	13	वस्त्रों का विनिर्माण
5	14	परिधान का विनिर्माण
6	15	चमड़ा और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण
7	16	लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क के उत्पादों का निर्माण (फर्नीचर को छोड़कर); पुआल और परत चढ़ाने की सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण
8	17	कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण
9	18	रिकॉर्डेड मीडिया का मुद्रण और पुनरुत्पादन
10	19	कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण
11	20	रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण
12	21	फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण
13	22	रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण
14	23	अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण
15	24	बुनियादी धातुओं का विनिर्माण
16	25	निर्मित धातु उत्पादों का विनिर्माण (मशीनरी और उपकरण को छोड़कर)
17	26	कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण
18	27	विद्युत उपकरण का विनिर्माण
19	28	मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण (अन्यत्र वर्गीकृत नहीं)
20	29	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण
21	30	अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण
22	31	फर्नीचर का विनिर्माण
23	32	अन्य विनिर्माण
24	33	मशीनरी एवं उपकरणों की मरम्मत एवं स्थापना

अनुलग्नक-II

जेड प्रमाणित एमएसएमई को ब्याज दरों और प्रसंस्करण शुल्क में रियायतें प्रदान करने वाले बैंकों / वित्तीय संस्थानों की सूची

क्र.सं.	बैंक/वित्तीय संस्थान
1	नोर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक
2	आईसीआईसीआई बैंक
3	यस बैंक
4	ईएसएएफ लघु वित्त बैंक
5	फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस
6	पंजाब नेशनल बैंक
7	भारतीय स्टेट बैंक
8	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
10	बैंक ऑफ बड़ौदा
11	फेडरल बैंक
12	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
13	केनरा बैंक
14	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
15	यूको बैंक
16	एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
17	बैंक ऑफ इंडिया
18	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
19	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड

अनुलग्नक-III

स्कीम के अंतर्गत प्राप्त किए गए राज्य-वार आउटकम (दिनांक 09.02.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेड प्रमाणित	लीन प्रमाणित	इंक्यूबेशन विचार	डिजाइन परियोजना	आईपीआर प्रतिपूर्ति
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	17638	472	129	0	181
3	अरुणाचल प्रदेश	3	0	3	0	0
4	असम	4261	213	6	2	8
5	बिहार	22144	2016	14	1	13
6	चंडीगढ़	714	0	7	0	0
7	छत्तीसगढ़	5189	176	13	0	7
8	दिल्ली	6048	242	16	0	85
9	गोवा	27	10	3	0	4
10	गुजरात	96423	1572	45	0	778
11	हरियाणा	19462	1573	13	4	147
12	हिमाचल प्रदेश	2849	60	2	0	3
13	जम्मू और कश्मीर	8793	278	4	3	3
14	झारखंड	2291	133	11	3	6
15	कर्नाटक	66363	1171	98	23	132
16	केरल	5314	268	31	1	148
17	लद्दाख	8	0	0	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	18529	1567	22	2	57
20	**महाराष्ट्र**	**43299**	**2676**	**87**	**7**	**475**
21	मणिपुर	9	25	0	0	0
22	मेघालय	39	6	4	0	0
23	मिजोरम	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	67	129	0	0	0
25	**ओडिशा**	**13454**	**89**	**47**	**1**	**78**
26	पुदुचेरी	384	18	3	0	1
27	पंजाब	20726	770	15	2	33
28	राजस्थान	28289	1016	39	1	160
29	सिक्किम	1	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	17236	1061	508	1	47
31	तेलंगाना	13259	278	162	2	580
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	505	18	0	0	0
33	त्रिपुरा	336	65	1	0	0
34	उत्तर प्रदेश	103228	1961	67	16	126
35	उत्तराखंड	1290	96	11	0	19
36	पश्चिम बंगाल	8959	650	57	0	52
	कुल	**5,27,139**	**18,609**	**1,418**	**69**	**3,143**